न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जसवंतपुरा जिला जालोर

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2018 केम्प खानपुर

पीठासीन अधिकारी –दौलतराम चोधरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील प्रकरण सख्या – 03 / 2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट्स
मोहन लाल पुत्र सवाजी जाति पुरोहित निवासी भादरडा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर		1. सरपंच ग्राम पंचायत खानपुर पं.स. जसवंतपुरा 2. नारायणसिंह वल्द मूलसिंह 3. पहाडसिंह वल्द जामतसिंह जातियान राव निवासीगण भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बनाराजगी नामांतरकरण संख्या 677 दिनांक 07.09.2016

निर्णय **दिनांक : 04.05.2018**

अपीलांट द्वारा उक्त बनाराजगी नामांतरकरण संख्या 677 दिनांक 07.09.2016 जो ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा अस्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की गई, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट ने सरहद मौजा भादरडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 704 रकबा 3.02 हैक्टेयर भूमि खातेदार संख्या रेस्पो. संख्या 1 व 2 क्रमशः नारायणसिंह पुत्र मूलसिंह पहाडसिंह पुत्र जामतसिंह जातियान राव निवासीगण भीनमाल के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी। अपीलांट ने खसरा नम्बर 704 रकबा 3.02 हैक्टेयर मे से 1.60 हैक्टेयर की खातेदारी जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज बेचान खातेदारी हक पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 16 में पृष्ठ संख्या 171 क्रम संख्या 20160008510 दिनांक 03.08.2016 के खरीद की थी। उक्त आराजी खरीदने के पश्चात उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड में अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु प्रशासन आपके द्वार केम्प में शिविर प्रभारी को आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर नामांतरण हेतु जांच व तस्दीक के लिए पटवारी हल्का खानपुर को आदेशित किया गया तथा पटवारी हल्का खानपुर ने अपनी रिपोर्ट पेश की। जिस पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 07.092016 के प्रस्ताव संख्या 1 में सदन द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 677 खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट अपील निम्न आधारो पर पेश है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि–विधान व कानूनन सही होने से स्वीकार योग्य है। अपीलांट ने उक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 704 रकबा 3.02 हैक्टेयर में से 1.60 हैक्टेयर की आराजी को जरिए रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज दिनांक

उपखण्ड अधिकारी,
जसवन्तपुरा (जालोर)

Scanned by CamScanner

03.08.2016 को खरीद की है। जिससे अपीलांट को उक्त खातेदारी अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। परन्तु ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा कानून के विपरित जाकर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अपीलाधीन नामांतरकरण अस्वीकार किया है, जिसे करने का ग्राम पंचायत को कोई वैधानिक अधिकार नही था, जिससे अपीलांट अपने नाम से नामांतरकरण दर्ज करवाने का अधिकारी होने से उक्त अपील स्वीकार योग्य है। तथाकथित प्रस्ताव संख्या 1 रेस्पोडेंट द्वारा मनगढंत तरीके से ग्राम पंचायत से सांठ–गांठ कर अवैध आधार बनाकर पारित करवाया गया है, जिसका वास्तविकता से कोई संबध नही है। किसी भी काश्तकार या व्यक्ति को खरीददार के पक्ष में निषादित एवं पंजीबद्ध दस्तावेज को सक्षम न्यायालय में सिविल वाद के जरिए निरस्त करवाये बिना नामांतरकरण खारिज करवाने का कोई कानूनीया अधिकार नही है। सरपंच ग्राम पंचायत खानपुन ने अपीलाधीन नामांतरकरण अस्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट को न तो नोटिस दिया गया न ही कोई सूचना दी गई तथा अपीलांट द्वारा खरीद की गई भूमि का नामांतरकरण अस्वीकार कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के विपरित होने से नामांतरकरण स्वीकार योग्य है। अपीलांट को नामांतरकरण अस्वीकार की सूचना दिनांक 10.05.2017 को मिलने पर अपीलांट ने नामांतरकरण की प्रमाणित प्रति हेतु उसी रोज आवेदन किया। जिस पर दिनांक 15.05.2017 को अपीलांट को नामांतरकरण संख्या 677 की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई, जिससे अपील अंदर म्याद पेश है। अतः निवेदन है कि अपीलाधीन नामांतरकरण 677 दिनांक 07.09.2016 जो सरपंच ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा अस्वीकार किया गया, जो कार्यवाही निरस्त करने के आदेश फरमावे तथा खसरा नंबर 704 रकबा 3.02 हैक्टेयर में से 1.60 हैक्टेयर की आराजी का अपीलांट के नाम नामांतरणकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करावे।

पत्रावली आज बमुकाम राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार– केम्प खानपुर मे पेश हुई। अपीलांट मोहनलाल उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत खानपुर एवं रेस्पो संख्या 3 पहाडसिंह उपस्थित हुए। इन दोनो रेस्पोडेन्ट की तरफ से कोई जवाव इत्यादि पेश नही हुआ। रेस्पो नम्बर 2 अनुपस्थित।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। अपीलांट मोहनलाल द्वारा जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज बेचान खातेदारी हक द्वारा दिनांक 03.08.2016 को नारायण सिंह वल्द मूलसिंह व पहाडसिंह पुत्र जामतसिंह से खसरा नम्बर 704 रकबा 3.02 हैक्टेयर में से 1.60 हैक्टेयर की खातेदारी जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज बेचान खातेदारी हक पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 16 में पृष्ठ संख्या 171 क्रम संख्या 20160008510 दिनांक 03.08.2016 के खरीद की थी। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 677 अनुसार खसरा संख्या 704 रकबा 3.02 हैक्टेयर में नारायणसिंह वल्द मूलसिंह पहाडसिंह वल्द जामतसिंह 1.42 हैक्टेयर कौम राव सा. भीनमाल मोहनलाल वल्द सवाजी जाति पुरोहित 1.60 हैक्टेयर सा. देह खातेदार दर्ज

जसवन्तपुरा (जालोर)

Scanned by CamScanner

(13)

है। एवं ग्राम पंचायत खानपुर की बैठक दिनांक 07.09.2016 के प्रस्ताव संख्या 1 में सदन द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 677 खारिज किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर एवं तहसीलदार जसवंतपुरा को प्रतिप्रेषित कर निर्देष दिये जाते है कि वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण दर्ज होने एवं उसके पश्चात उसके खारिज किये जाने के संबध में जांच करे एवं विधिसम्मत सुनवाई के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प खानपुर में मजमे आम में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी जसवन्तपुरा सत्यमेव जयते जालोर (राज.)

(सौलतराम चोधरी)
उपखण्ड अधिकारी
जसवंतपुरा

उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा (जालोर)

Scanned by CamScanner